

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-3-2011-3-एक,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर, 2012

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:-शासकीय सेवकों के विरुद्ध लम्बित अनुशासनात्मक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति।

संदर्भ:-सा.प्र.विभाग का ज्ञापन क्र.सी-6-2-1994-3-एक, दिनांक 30.06.1994

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान उनकी पदोन्नति, स्थायीकरण आदि की प्रक्रिया के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। उपरोक्त परिपत्र के पैरा-2(1) में निम्नलिखित प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष मोहरबंद लिफाफे में रखे जाने के निर्देश हैं :-

“यहां यह स्पष्ट किया जाता है नीचे उल्लेखित बंद लिफाफे की प्रक्रिया केवल ऐसे शासकीय सेवकों के लिए अपनाई जाएगी जिनके विरुद्ध या तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत आरोप-पत्र वास्तविक रूप से जारी कर दिया गया हो और या जिनके विरुद्ध अभियोजन पत्र वास्तव में अदालत में पेश हो गया हो।”

2. उपरोक्त परिपत्र की कंडिका 2(2) एवं 3(1) में यह भी उल्लेख है कि जब किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति के लिये उपयुक्तता के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष मोहरबंद लिफाफे में रखे गये हों तो रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्च ग्रेड में इस रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर ही भरा जाये। जब शासकीय सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में मोहरबंद लिफाफा खोला जाएगा और उसकी पदोन्नति की तारीख, मोहरबंद लिफाफे में रखे गये निष्कर्षों में, उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा इस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। ऐसे शासकीय सेवक को यदि जरूरी हो तो स्थानापन्न आधार पर कार्य करने वाले सबसे बाद में पदोन्नत किए गए व्यक्ति को पदावनत कर पदोन्नत किया जा सकता है।

3. कतिपय विभागों में शासकीय सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर देने के बाद उसकी पदोन्नति में इसलिए विलम्ब होता है क्योंकि उसके संबंध में सिफारिश बंद लिफाफे में होने के कारण उस रिक्त पद के विरुद्ध कनिष्ठतम लोक सेवक की स्थानापन्न पदोन्नति करने के फलस्वरूप रिक्त उपलब्ध नहीं रहती हैं। दूसरी ओर कनिष्ठतम लोक सेवक को पदावनत किया जाता है तो वह न्यायालय की शरण में चला जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.1994 की कण्डिका 3(1) के प्रावधान का उल्लेख पदोन्नति समिति बैठक के कार्यवाही विवरण में नहीं होने के कारण ऐसे न्यायालयीन प्रकरणों में शासन की ओर से पक्ष समर्थन में कठिनाई होती है।

4. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त स्वरूप के प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण में स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि परिपत्र दिनांक 30.06.1994 की कण्डिका 2(1) में उल्लेखित परिस्थिति के फलस्वरूप यदि किसी शासकीय सेवक के सम्बन्ध में सिफारिश बंद लिफाफे में रखी गयी हो और उसकी रिक्ति को कनिष्ठतम लोक सेवक की पदोन्नति से स्थानापन्न रूप से भरा गया हो तो सम्बन्धित शासकीय सेवक के पूर्णतः दोषमुक्त हो जाने पर उसे तत्काल पदोन्नति दी जाएगी तथा आवश्यक हो तो कनिष्ठतम लोक सेवक को पदावनत किया जाएगा।

5. इसके अतिरिक्त कनिष्ठतम लोक सेवक के पदोन्नति आदेश में भी इस आशय का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाय कि परिपत्र दिनांक 30.06.1994 की कण्डिका 2(1) में उल्लेखित परिस्थिति के फलस्वरूप प्रकरण में बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनायी गयी है और उसकी रिक्ति को कनिष्ठतम लोक सेवक की स्थानापन्न पदोन्नति से भरा जा रहा है। सम्बन्धित शासकीय सेवक के पूर्णतः दोषमुक्त हो जाने पर उसे तत्काल पदोन्नति दी जाएगी तथा आवश्यक पद उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित कनिष्ठतम लोक सेवक को पदावनत किया जावेगा।

6. उपरोक्त निर्देशों का पालन कृपया कडाई से सुनिश्चित किया जाये।



(सुदेश कुमार)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग